राजस्व प्रार्थना पत्र 12/2021
जीसीएमएसम नंबर 2021/83
भुगनाराम बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी—रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र— 12/2021

प्रार्थी—

1. भुगाना राम पुत्र भंवरलाल , जाति जाट, निवासी— गुजरियावास, तहसील—जायल।

बनाम

अप्रार्थी—

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित—

1. प्रार्थी की ओर से अम्बालाल पारासर अधिवक्ता।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम—1956

निर्णय दिनांक :— 21/6/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम भुगाना राम पुत्र भंवरलाल ही है। प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी मौजा गुजरियावास के खतौनी संख्या 133 में वर्णित खसरान् 1121, 823 में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट देय खातेदार दर्ज है। जो की प्रार्थी की जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा की गई खरीदसुदा जमीन है। तथा उसके कागजात जैसे प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 7950 0704 6849, ग्राम पंचायत जायल द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 27.01.2022, मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू 1581453, राशन कार्ड संख्या 008273300231, पंजाब नेशनल बैंक की बैंक डायरी खाता संख्या 9821000100002788 में सही नाम भुगानाराम पुत्र भंवरलाल दर्ज है। अतः मौजा गुजरियावास के खाता संख्या 133 में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर भुगाना राम पुत्र भंवरलाल दर्ज किया जावे जिससे सरकारी कामकाज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार तहसीलदार जायल ने जवाब जरिये मय हल्का पटवारी जायल एवं भू.अभि.नि जायल की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम भगवानाराम खरीद सुदा खेत के नामान्तकरण से दर्ज किया गया है ना कि किसी लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हुआ है। अतः खातेदार भगवानाराम जाति जाट के स्थान पर भुगाना राम जाति जाट दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में आधार कार्ड संख्या 7950 0704 6849, ग्राम पंचायत जायल द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 27.01.2022, मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू 1581453, राशन कार्ड संख्या 008273300231, पंजाब नेशनल बैंक की बैंक डायरी खाता संख्या

21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

9821000100002788 की फोटो प्रति तथा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 133 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा जायल राजस्व रिकॉर्ड खतौनी सं. 133 में अंकित प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर भुगाना राम पुत्र भंवरलाल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, क्यों कि धारा 136 के तहत रेकर्ड मे प्रतिदिन के कार्यकलाप मे राजस्व रेकार्ड मे हुई गलतियों को सही किया जा सकता है। साथ ही भू–प्रबन्ध के दौरान किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की खातेदारी या गैर खातेदारी कृषि भूमि को सिवायचक या चरागाह दर्ज कर दिया गया है अथवा किसी राजकीय भूमि , सिवायचक या चरागाह को किसी व्यक्ति के खातेदारी दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियो को धारा 136 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा समरी ट्रायल से शुद्ध किया जा सकता है। तथा किसी का जाति नाम या स्वयं का नाम भी सम्मान जनक किया जा सकता है। जैसे –रामला का रामलाल, चमार का मेघवाल इत्यादि। तथा विशेष– धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो पूर्व मे निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी उसके अनुरूप ही गलतियो की शुद्धि की जा सकती है। जबकि प्रकरण हाजा का यह मामला करेक्शन डीड से संबंधित प्रतीत होता है। जो कि किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट–1956 के तहत पोषणीय नहीं होने व विनाय प्रार्थना पत्र गलत होने तथा साक्ष्य सबूतादि के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। पत्रावली फैसल होकर अपने नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफत्र हो।

– : : आदेश : : –

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट–1956 के तहत पोषणीय नहीं होने तथा साक्ष्य सबूतादि के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतः पत्रावली फैसल होकर अपने नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

यह आदेश आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल